RAJYA SABHA

Monday, 10th March, 1997/
19th Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Bezawada Gopala Reddy, a former Member of the Rajya Sabha on the 8th March, 1997 at the age of 89.

Born in Nellore district of Andhra Pradesh in August, 1907, Dr. Gopala Reddy was educated at Machilipatnam and Viswabharati, Santiniketan. Dr. Reddy gave up his school education to participate in the Non-cooperation Movement and played an active role in the freedom struggle, taking part in the Salt Satyagraha and Quit India Movement. He also suffered several terms of imprisonment during the freedom struggle. An agriculturist by profession, Dr. Reddy, was President of the (i) Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha (Andhra Pradesh), (ii) South Indian Painters Association from 1950-1953, (iii) Andhra Pradesh Sahitya Academy, (iv) Indian Conference of Social Work and Hindi Association of Parliament. He was also for a long time associated with Central Sahitya Academy and Jnanpith Award Committee and various social, welfare and literary organisations.

Dr. Gopala Reddy started his legislative career as a Member of the Madras Legislative Assembly in 1937 and was re-elected to that Assembly in 1946. He was a Minister of Local Administration in the first Congress Ministry, Madras in 1937 and was the youngest Member of the Rajaji Cabinet. Thereafter, he was elected to the Andhra Legislative Assembly. He also served as Chief Minister of the Andhra State from 1955 to 1956 and held important portfolios in the newly-constituted State of Andhra Pradesh.

Dr. Gopala Reddy represented the State of Andhra Pradesh, in this House, from August 1958 to April 1960 and again from April 1960 to February 1962. He was also a Member of the Third Lok Sabha. Dr. Reddy also served as a Minister for Economic Affairs and Revenue, Civil Expenditure and Information and Broadcasting in the Union Council of Ministers. Dr. Reddy was also the Governor of Uttar Pradesh from 1967 to 1972.

Dr. Reddy was a scholar, author, linguist and he took keen interest in Indian languages, particularly in Urdu. He was well versed in Bengali, Telugu and Urdu and he also translated Tagore's works in to Telugu.

In the passing away of Dr. Bezawada Gopala Reddy, the country has lost a veteran freedom fighter, distinguished parliamentarian and an able administrator.

I request the Members to rise in their places and observed silence as a mark of respect to the memory of the departed soul.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: The Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Allocation of coal mining block to private/ public sector

*201. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the provisions of law, under which the Ministry of Coal has taken upon itself the task of identifying and allocating coal mining blocks to the private/public sector, individual parties, for grant of mining lease by the State Governments;

(b) whether interested parties such as Coal India Limited and/or its subsidiaries are also involved in decision-making process for identification and allocation of

coal mining blocks; and

(c) in what manner the status of such parties is better than a lessee in comparison to a private lessee, in the eyes of law?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (ख) के परंतुक के अंतर्गत खनिजों के लिए, जिसमें कोयला भी शामिल है, जोकि खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, उनके संबंध में खनन किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टेदारी दिए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों और पार्टियों के संबंध में ग्रहीत उपभोग किए जाने के लिए कोयले का खनन किए जाने हेतु कुछ पात्रता संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं, कोल इंडिया लि०, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० तथा राज्य सरकार की कंपनी/निगमों को छोड़कर। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि निर्धारित पात्रता का अनुपालन कर दिया गया है और प्रस्तावित अंतिम उपयोग हेतु इसका अधिकतम खनन किए जाने की दृष्टि से, कोयला मंत्रालय में ऐसे ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु, जिनका संक्षिप्त रूप में सूचीबद्ध आवेदन-कर्ताओं द्वारा उत्कृष्ट रूप में उत्खनन किया जा सकता है, उक्त प्रयोजन से एक जांच समिति का गठन किया गया है। इसके बाद ऐसी कंपनियों तथा पार्टियों द्वारा खनन पट्टेदारी दिए जाने हेतु खान तथा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 10(1) के अंतर्गत संबद्ध राज्य सरकार को आवेदन किया जाना अपेक्षित है।

(ख) खनन ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु कोल इंडिया लि० की सहायता ली जाती है। इसके बाद जांच समिति द्वारा ब्लॉकों के आवंटन की सिफारिश की जाती है; कोल इंडिया लि० को इस समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

(ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सभी तरह की पट्टेदारी को समान महत्व दिया जाता है।

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Mr. Chairman, Sir, other than the legal side, this question involves curtailment of the rights of the State Government. Under the Constitution all mineral rights vest in the State Governments. The Central Government is only a regulatory office. Unfortunately, for some reason or the other, the Central Government has taken the entire power of not only approval, but also allocation and grant of mineral lease to itself. This is one side. The reply is: 'under Section 5 of the MMRD Act, the approval of the Central Government is required'. There is no dispute about it. The point is how they can allocate mineral blocks to individuals or companies without having an application before them for consideration. This question has not been replied to at all. Coal India Ltd. or its subsidiaries are lessee so far as the law is concerned. They have been made a party in this process. This is one side. The other side is that China and we started mining at the same level. China has produced more than 1200 million tonnes of coal.

MR. CHAIRMAN: Now, you please come to the question.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Sir, unless the background is spelt out the importance of the case cannot be understood ...*(Interruptions)*... One second, Sir. We have reached about 260 million tonnes. In the Ninth Five Year Plan we require more than 500 million tonnes, in the Tenth Five Year Plan we require more than 700 million tonnes. My question is, with this lop-sided policy and violation of the Constitution, can the Coal Ministry reach the target or will we have to depend on imported coal?

श्रीमती कांति सिंह: सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है माइनिंग लीज के संबंध में राज्य सरकार की जो भूमिका है वह यह है कि माइनिंग लीज राज्य सरकार ही देती है। केन्द्र सरकार सिर्फ जो

आवेदन आते हैं उसकी स्क्रीनिंग करती है। कोई भी आवेदन जब तक हमारे पास नहीं आएगा, जब तक हम माइनिंग ब्लाक आइडेंटीफाई नहीं कर लेंगे, जब तक उसकी यहां स्क्रीनिंग नहीं होगी जब तक उसको स्टेट गवर्नमेंट लीज नहीं दे सकती। इसके बारे में हमारी जो शर्तें है, जो गाइड लाइंस हैं केप्टिव माइनिंग के संबंध में वह इस प्रकार हैः

उन क्षेत्रों में, जहां मूलभूत संरचनात्मक ढांचे, जैसे सड़क, रेल, संयोजन आदि को अभी विकसित किया जाना है वहां प्राथमिकता के आधार पर ब्लाकों की ग्रहीत खनन हेतु पेशकश की जानी चाहहिए। वे क्षेत्र, जहां सी०आई०एल० द्वारा नई खानें खोले जाने हेतु इस प्रकार के संरचनात्मक ढांचे को विकसित किए जाने के लिए पहले ही निवेश किया जा चुका है, उन्हें, लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने की स्थिति को छोड़कर, अन्य स्थितियों में खनन हेतु नहीं सौंपा जाना चाहिए।

ग्रहीत खनन हेतु प्रस्तावित ब्लाक को०ई०लि० की विद्यमान खानों तथा परियोजनाओं से उचित दूरी पर होने चाहिए, ताकि परिचालन से संबंधित समस्याओं से बचा जा सके।

सी०आई०एल० द्वारा विकसित किए जाने हेतु निर्दिष्ट किए गए वे ब्लाक, जहां पर्याप्त वित्त-पोषण उपलब्ध है अथवा उपलब्ध होने की संभावना है, उनके लिए भी ग्रहीत खनन हेतु प्रस्ताव नहीं दिया जाना चाहिए।

जिन ब्लाकों की पेशकश की जाती है, उनमें अन्वेषण क्रियाकलापों की पूरी लागत का वहन ग्रहीत कोयला खनन पार्टियों द्वारा किया जाना चाहिए।

ग्रहीत ब्लाकों के विनिर्दिष्टीकरण हेतु, कोयले की लगभग 30 वर्षों की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी आवेदन आता है तो उसको हम मंजूरी देते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उसको लीज पर देने के लिए कहा जाता है। माइनिंग प्लान जो होता है वह यहां से अप्रूव होता है और यहां से अप्रूव होकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है कि वह उसको लीज पर दें।

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Sir, the hon. Minister has not properly answered the question. My question was about the grant of mining lease. The hon. Minister has stated that they are processing the applications. *(Interruptions)* My point is, without the proposals being sent through the State Government, it has been decided at the Ministry level. Most of it has not properly been done by the Ministry. As a matter of fact, in respect of all the blocks for which the lease had been granted, none of them came through the State Governments. It has directly been allotted by the Ministry. This amounts to violation of the Constitution. This was my point.

Now, Sir, my second supplementary is...

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister answer this point. I will call you again.

श्रीमती कांति सिंहः सभापति महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट लीज नहीं देगी तब तक हम उसे आवंटित नहीं कर सकते हैं क्योंकि जमीन के लिए लीज देने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट का ही है। हम सिर्फ यह देखते हैं कि वह हमारे कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट या एम०एल म०आर०डी० एक्ट की शर्तों को पूरा करते या नहीं। इस चीज को देखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रिकमंडेशन की जाती है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, please.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Sir, is it not a fact that more than. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The Minister has denied.

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is all.

MISS SAROJ KHAPARDE: That is all, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Agarwalla, please put your second supplementary.

SHRI S.S. AHLUWALIA: He has already put the second supplementary, Sir. this would be his third supplementary.

MR. CHAIRMAN: He has not put his second supplementary. Mr. Agarwalla, please put your second supplementary. *(Interruptions)*

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, we understand neither the question nor the

reply. We are more confused now. *(Interruptions)*

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Sir, is it not a fact that ignoring the State Governments, a large number of mining leases have been acquired under the Coal-bearing Areas Acquisition Act for coal companies? This is my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: Ignoring the Central Government?

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Ignoring the State Governments, Sir.

श्री महेश्वर सिंह: राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर क्या भारत सरकार ने कोई लीज दी है?

श्रीमती कांति सिंह: बगैर स्टेट गवर्नमेंट के लीज दिए हम उसको अलॉट नहीं कर सकते।

श्री प्रेम चंद गुप्ता: सर, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि "एंड यूजर्स" के कैप्टिव यूज के लिए माइंस दी जाती है जिस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी है। सर, कुछ ऐसे इंस्टैंसेस सामने आए हैं जिन में कैप्टिव यूज के लिए माइन दी गयी, लेकिन वहां पर इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं है। क्या सरकार की इस के लिए कोई प्लानिंग है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप किया जाय ताकि कैप्टिव यूज के लिए जो माइंस दी गयी है, उन को एक्सप्लोर किया जा सके और इन का यूज किया जा सके?

श्रीमती कांति सिंह: सभापति महोदय, जिन्हें लीज दी जाती है, वही लोग इंफ्रस्ट्रक्चर भी डवलप करेंगे।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लीज पर देने के लिए कोल माइंस के नीचे जो कोयला उपलब्ध है, उस की कैटेगरी का पता लगाया जाता है? क्योंकि देखने में आया है कि पहले हमारे यहां "सेमी-एंथ्रासाटि" कोल भी "स्लैग कोल" के भाव में बिक गया। जापानीज कंपनी को लीज दी गयी और सेमी-एंथ्रासाइट कोल भी बाहर जाता रहा। तो कोल की कैटेगराइजेशन करना पहले जरूरी है क्योंकि "हाई स्टीम क्वालिटी" और "हाई कैलोरिफिक वैल्यू" के कोल भी सस्ते दर पर लीज पर दिए जाते है। तो क्या आप की सरकार ने या आप के विभाग ने ऐसा कोई कैटेगराइजेशन किया है? अगर किया है तो किस-किस कैटेगरी को आप ने लीज पर देने का प्रावधान रखा है?

श्रीमती कांति सिंह: जैसा कि आपने कहा कि यह नॉन-कोकिंग कोल के बारे में है तो इसमें जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है तो उसमें यह रहता है कि एक्सप्लोरेशन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि उसमें किस ग्रेड का कोयला है और इस तरह की कोई बातें अगर आपके दिमाग में या आपके नॉलेज में हैं तो इसकी हम जांच करा कर देखेंगे।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय, मैंने यह पूछा है कि कैटेग्राइज़ किया गया है या नहीं। मैंने यह नहीं पूछा...**(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: One person at a time to speak, pealse.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मेरा सवाल सीधा है, सर, हमारी कोल माइन्स में से हाई कैलोरीफिक वैल्यू लो कैलोरीफिक वैल्यू, हाई ऐश वैल्यू, लो ऐश वैल्यू, सेमी एंथ्रासाइट बेस के कोल मिलते है और वह सारे कोल को कैटेगराइज़ किया जाता है। आज तक हमारी कोल माइन्स में कैटेगराइज़ नहीं किया गया। हमने पिछले दिनों ऐसी कोयला खदान जहां सेमी एंथ्रासाइट निकलता था और यह सेमी एंथ्रासाइट कोल हम जापान की एक कंपनी को लीज़ पर दिए और यह कोयला बाहर जाता रहा और वहां से उसका कैल्सीनेशन करायेंगे। इंडिया वापस हम उसको इंपोर्ट करते रहे, तो मेरे कहने का मतलब है कि यह जो कोइलरियां लीज़ पर दे रहे हैं इसको कैटेगराइज़ किया है या नहीं? अगर कैटेगराइज़ किया है तो किस कैटेगरी की कोयलरी लीज़ पर दी जाएगी? मैंने तो यह पूछा है और इसका जवाब कहां है? How can you do it without categorisation? That means you are selling gold at the rate of ash. That means you are not categorising it. You are selling gold at the rate of ash. That is my point.

श्रीमती कांति सिंह: सभापति महोदय, सिर्फ हम जो लीज़ पर देने का ब्लॉक्स के बारे में कहा गया है एक्सप्लोरेशन जो किया जाता है वह सिर्फ हम ऑफर करते हैं...**(व्यवधान)** उसके बाद एक्सप्लोरेशन में किया जाता है।...**(व्यवधान)** तभी पता चलेगा कि किस कैटेगरी का है। अब जो भी कंपनियां हैं चाहे सीमेंट के लिए हो, चाहे पॉवर के लिए हो, जो लोग लेते हैं, वह पहले आइडेंटीफाई हो जाता है तभी वह उसमें अप्लायी करते हैं।

*202. [The Questioner (Dr. Shri Kant Ramchandra Jichkar) was absent. For answer vide col..... infa]